L. C. BILL No. IV OF 2021.

A. BILL

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ४ सन् २०२१।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक था ; **और, इसलिए,** मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगरपंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१, ६ दिसम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

सन् २०२१ का महा अध्या. क्र. १५।

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह ६ दिसम्बर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का ३ की धारा ५ख में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, "मुंबई नगर निगम अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५ख के, प्रथम परंतुक में, "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३० जून २०१९ को समाप्त होनेवाले" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान में, "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३१ दिसम्बर २०२२ को समाप्त होनेवाले" शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे।

सन् १८८८ का ३। सन् २०१८ का महा. २१। सन् २०२१ का महा.-।

सन् १८८८ का ३ की धारा ३७ में संशोधन।

३. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ३७ की उप-धारा (२क) के, प्रथम परन्तुक में, "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३० जून २०१९ को समाप्त होनेवाले" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान में, "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३१ दिसम्बर, २०२२ को समाप्त होनेवाले" शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे।

सन् २०१८ का महा. २१। सन् २०२१ का महा.-।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९। सन् २०१८ का महा. २१। सन् २०२१ का महा.-।

४. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में "महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम" के रूप में निर्देशित किया है) की धारा ५ख, के प्रथम परंतुक में, "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले" तथा ३० जून २०१९ को समाप्त होनेवाले शब्दों, कोष्ठको, अंकों तथा अक्षरों के स्थान में "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम, और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३१ दिसम्बर, २०२२ को समाप्त होनेवाले" शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे। सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ख में संशोधन।

सन् २०१८ का महा. २१। सन् २०२१ का महा.-।

५. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १९ की उप-धारा (१ख) के प्रथम परंतुक में, "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१८, के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३० जून २०१९ को समाप्त होनेवाले" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों, तथा आक्षरों के स्थान में "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम, और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३१ दिसम्बर २०२२ को समाप्त होनेवाले" शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे। सन् १९४९ का ५९ की धारा १९ में संशोधन।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४०। सन् २०१८ का महा. २१। सन् २०२१ का महा.-।

६. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, "नगर परिषद अधिनियम" के रूप में निर्देशित किया है) की धारा ९क, के प्रथम परंतुक में "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३० जून २०१९ को समाप्त होनेवाले" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान में, मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के दिनांक पर शुरू होनेवाले तथा ३१ दिसम्बर २०२२ को समाप्त होनेवाले" शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे। सन् १९६५ का महा.४० की धारा ९क में संशोधन।

सन् २०१८ का महा.२१। सन् २०२१ का महा. —।

७. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५१-१ख के, प्रथम परंतुक में, "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३० जून २०१९ को समाप्त होनेवाले" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान में, "मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के दिनांक को शुरू होनेवाले तथा ३१ दिसम्बर २०२२ को समाप्त होनेवाले" शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे। सन् १९६५ का महा.४० की धारा ५१-१ख में संशोधन।

अध्याय पाँच

विविध

सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. १५ ।

८. (१) मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. १५ की निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हूए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

सन् १८८८ का ३ सन् १९४९ का ५९ । सन् १९६५ का महा. ४० ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा ५ख, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५ख और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा.४०) की धारा ९क यह उपबंध करती है कि, अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति या, यथास्थिति, नागरिकों के पिछड़े प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी गई सीट के लिए चुनाव लड़नेवाले प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति अपने नामांकन कागज़ात के साथ महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (**विमुक्त जाति)** खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े प्रवर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) के उपबंधों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र और संवीक्षा समिति द्वारा जारी सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

२. उक्त धाराएँ सन् २०१८ का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, और सन् २०१८ का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६५ द्वारा संशोधित की गई है जो उम्मेदवार को आरक्षित सीट पर निर्वाचन लड़ने के लिए नामांकन कागजात के साथ विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत प्रस्तुत करेगा ; और वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र उसके निर्वाचन के दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। सन् २०१८ का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार ऐसे उपबंध ३० जून २०१९ तक लागू हुए थे।

३. जाति संवीक्षा समिति को विधिमान्यता प्रमाणपत्र के निर्गमन के कार्य का अत्याधिक बोझ है और परिणाम स्वरूप, जाति विधिमान्यता प्रमाणपत्र को प्राप्त करने में उम्मेदवारों को कठिनाइयाँ होती है। सुसंगत नगर निगम विधि के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचित उम्मेदवार, उसके निर्वाचित होने के दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होने के मामले में उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हो जायेगा और पद धारण करने के लिए वह निरर्ह हो जायेगा।

४. यह सुनिश्चित करना है कि, निर्वाचित उम्मेदवार, जिसने पहले से ही जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया है वह केवल उसके द्वारा प्रस्तुत वचनबंध के अनुसार समय पर जाति संवीक्षा समिति द्वारा जारी जाति विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होने से अनर्ह नहीं हो जायेगा, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्वाचित उम्मेदवारों को अध्यादेश के प्रारम्भण के दिनांक पर शुरू होनेवाली अवधि और ३१ दिसम्बर २०२२ को समाप्त होनेवाली अवधि को विस्तारित करने के लिए उपबंध करना इष्टकर गया समझा था। इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा ५ख और ३७, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४८ का ५९) की धारा ५ख और १९ और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा.४०) की धारा ९क और ५१-१ख में यथोचित संशोधन करना इष्टकर है।

५. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था, और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अत: महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. १५) ६ दिसम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १५ दिसंबर २०२१।

एकनाथ शिंदे,
नगर विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १५ दिसंबर २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.